"बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च 2014—फाल्गुन 16, शक 1935

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

ARO
21/3/14

आवक क्रमांक /BCC/O
दिनांक 147/21.03.14

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 3-4/2013/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-05-2013 द्वारा जिला बीजापुर के थाना गंगालूर के ग्राम एड्समेटा के नजदीक सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के मध्य हुई मुठभेड़ की न्यायिक जांच के लिये माननीय न्यायमूर्ति श्री व्ही.के.अग्रवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, छ.ग. उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष म.प्र. शुल्क नियामक न्यायाधिकरण, भोपाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2002

क्रमांक/डी-4111/3136/3662/2002/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा पिछड़ावर्ग की जातियों की सूची के सरल क्रमांक 01 में सम्मिलित "राऊत गोवारी" के पश्चात् "रावत" को तथा सरल क्रमांक 33 (ब) पर सम्मिलित "माली (सैनी), मरार" जाति के पश्चात् "पटेल" (हरदिहा मरार) को निम्नानुसार विवरण के साथ शामिल करने की स्वीकृति प्रदान करता है :—

जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
रावत	पशुपालन, दूध विक्रय तथा जजमानी प्रथा के अंतर्गत गाय, बैल, भैंस आदि पशु चराना.	ब्राह्मण रावत तथा राजपूत शामिल नहीं है.
पटेल (हरदिहा मरार)	शाक-सब्जी उत्पादन व साग-भाजी तथा फूल उत्पादन तथा बागवानी.	गांव के मुखिया-पटेल पद तथा अघरिया, धाकड़ आदि अन्य जाति जो पटेल उपनाम लिखते हैं शामिल नहीं है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक/डी-3599/1109/2003/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा पोविया जाति को पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में सरल क्रमांक 91 में सम्मिलित करता है, विवरण निम्नानुसार है :—

जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
पोवियां	खेती, मजदूरी	यह जाति रायगढ़ जिले में निवास करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. द्विवेदी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ-19-33/25-2/2012/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 12 पर अंकित जातियों ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह, नावड़ा/तुरहा, केवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम) कोर, ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में) सोंधिया के साथ केवट के आगे केंवट शब्द स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ-19-33/25-2/2012/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 14 पर अंकित जातियों भुर्तिया एवं भुतिया के आगे भोरथिया, भोरतिया शब्द स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ- ()-33/25-2/2012/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 78 पर अंकि.. जातियों बाया महरा/कौशल, वया के आगे बया शब्द स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ- ()-33/25-2/2012/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में आगामी नवीन अनुक्रमा.. 93 स्थापित करते हुए उक्त अनुक्रमांक के तहत रौनियार जाति को सम्मिलित करता है, विवरण निम्नानुसार है :—

अनु. क्र.	जा.त का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
93	रौ..यार	कृषि, पशुपालन, बैल/घोड़े पर समान लादकर घूम-घूम कर बेचना एवं मजदूरी.	इस समूह में वैश्य शामिल नहीं है

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ- ()-33/25-2/2012/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में आगामी नवीन अनुक्रमा.. 92 स्थापित करते हुए उक्त अनुक्रमांक के तहत खर्रा, खडरा, खोडरा जातियों को सम्मिलित करता है, विवरण निम्नानुसार है :—

अनु क्र.	जा..ा का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
92	ख.., खडरा, खोडरा	बर्तन मरम्मत करना एवं फेरी लगाकर बर्तन बेचना.	—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2009

क्रमांक/एफ-10-3/25-3/09/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 36 में सम्मिलित "ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया" के पश्चात् "कसेर" को स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ-19-22/25-2/2013/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के

अनुक्रमांक 03, अनुक्रमांक 16, अनुक्रमांक 39 तथा अनुक्रमांक 87 (10) के अंतर्गत निम्नानुसार जातियों को सम्मिलित करता है :—

क्र.	अ.पि.व. की जाति सूची का अनुक्रमांक	पूर्व से सम्मिलित जाति	नवीन सम्मिलित जाति
1.	03	बैरागी, वैष्णव	थनापति
2.	16	भटियारा	हलवाई, गुरिया
3.	39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुन्बी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलंबी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, चंदनाहू, चन्नाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी.	गवेल
4.	87 (10)	मनिहार	चुड़िहार

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ-19-22/25-2/2013/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में आगामी नवीन अनुक्रमांक 94 एवं 95 स्थापित करता है तथा क्रमांक 94 के तहत बिंद, बींद, बिन्द, बीन्द जातियों को एवं क्रमांक 95 के तहत झोरा जाति को सम्मिलित करता है, विवरण निम्नानुसार है :—

अनु. क्र.	जाति का नाम	जाति का परंपरागत व्यवसाय	कैफियत
94	बिंद, बींद, बिन्द, बीन्द	कुँआ, तालाब, बावली खोदना, खेतों में गड्ढा खोदना एवं मछली पकड़ना.	जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के नगपुरा, झपेली, बरभाठा, इमली भाठा, रामपुर एवं शनिचरा ग्राम तथा मध्यप्रदेश राज्य से लगे हुए क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते हैं.
95	झोरा	मिट्टी को धोकर सोना निकालना, कृषि, मजदूरी, मछली पकड़ना.	मुख्य रूप से जशपुर जिले में निवास करते हैं. कुछ जनसंख्या रायगढ़ जिले में भी निवासरत हैं.

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ-19-22/25-2/2013/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 01, अनुक्रमांक 03, अनुक्रमांक 05, अनुक्रमांक 12, अनुक्रमांक 23, अनुक्रमांक 25, अनुक्रमांक 32, अनुक्रमांक 33(अ), अनुक्रमांक 33 (ब), अनुक्रमांक 34, अनुक्रमांक 38, अनुक्रमांक 39, अनुक्रमांक 42, अनुक्रमांक 45, अनुक्रमांक 51 तथा अनुक्रमांक 59 पर अंकित प्रविष्टियों में जातियों के समक्ष उपजातियों के लिए अंकित कोष्टक "( )" को अल्प-विराम "," के द्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है :—

क्र.	अ.पि.व. सूची का अनु क्र.	नाम जाति /वर्ग समूह (पूर्व प्रविष्टि)	नवीन प्रतिस्थापन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क्रमांक 01	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव), बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी (ग्वारी), गोवारा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, (राउत), महाकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, रावत.	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव, यादव, बरगाही बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी, ग्वारी, गोवारा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, राउत, महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, रावत.
2	क्रमांक 03	बैरागी (वैष्णव)	बैरागी, वैष्णव

(1)	(2)	(3)	(4)
3	क्रमांक 5	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई (चौरसिया)	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई, चौरसिया.
4	क्रमांक 12	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह, नावड़ा/तुरहा, केवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), केंवट, कौर, ब्रितिया (वित्तिया), सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में) सोधिंया.	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह, नावड़ा/तुरहा, केवट, कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम, केंवट, कौर, ब्रितिया, वित्तिया, सिंगरहा, जालारी, जालारनलु (बस्तर जिले में), सोधिंया.
5	क्रमांक 23	गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकर, गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल, बघेले).	गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकर, गाड़री, धारिया, धोषी, गड़रिया, गारी, गायरी, पाल, बघेले.
6	क्रमांक 25	कोष्टा, कोष्टी (देवांगन), कोष्टा, माला, पद्मशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी (लिंगायत), गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी.	कोष्टा, कोष्टी, देवांगन, माला, पद्मशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी, लिंगायत, गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी.
7	क्रमांक 32	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, (स्वर्णकार), अवधिया, औधिया, सोनी (स्वर्णकार).	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, स्वर्णकार, अवधिया, औधिया, सोनी.
8	क्रमांक 33 (अ)	काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य), कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर.	काछी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, कोयरी या कोइरी, पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर.
9	क्रमांक 33 (ब)	माली (सैनी), मरार, पटैल (हरदिहा मरार)	माली, सैनी, मरार, पटैल, हरदिहा, मरार
10	क्रमांक 34	जोशी (भड्डारी), डकोचा, डकोता	जोशी, भड्डारी, डकोचा, डकोता
11	क्रमांक 38	कुम्हार (प्रजापति) कुंभार	कुम्हार, प्रजापति, कुंभार
12	क्रमांक 39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी), कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, कुंभी, गवैली (गमैल), सिरवी.	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी.
13	क्रमांक 42	कलार (जायसवाल), कलाल, डडसेना	कलार, जायसवाल, कलाल, डडसेना
14	क्रमांक 45	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही, उसरेटे.	नाई, सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास, म्हाली, नाव्ही, उसरेटे.
15	क्रमांक 51	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेली, ठाठ, साहू, राठौर
16	क्रमांक 59	लोढा (तंवर)	लोढा, तंवर

2. जिन जातियों के कोष्टक हटाये जा रहे हैं, उन जाति के विद्यार्थियों को जारी की गयी अंकसूचियों में अंकित जाति में आवश्यकतानुसार संशोधन की कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को अधिकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.